बिहार विधान परिषद् दैनिक विवरणिका

संख्या- 2 सत्र- 187वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
मंगलवार, दिनांक 28.11.2017 ई.

माननीय उप सभापति श्री मो. हारून रशीद की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 4.20 अपराह्न तक

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी एवं श्री सुबोध कुमार ने अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव के संबंध में बोलना शुरू किया, जिसपर आसन से यह अनुरोध किया गया कि माननीय सदस्य, एक सूचना सुन लीजिए।

1. आसन की सूचना

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने सदन को सूचित करते हुए कहा कि मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि सदन की कार्यवाही की वेबकास्टिंग आज से प्रारंभ हो गई है। आप अपने मोबाइल पर http://webcast.gov.in/biharvidhanparishad या www.biharvidhanparishad.gov.in पर उपलब्ध लिंक पर सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। धन्यवाद।

(मेजें थपथपाकर स्वागत)

साथ ही, माननीय उप सभापति महोदय ने यह भी सूचित किया कि दूसरे दिन, कल भी अपने घर पर लैपटॉप या मोबाइल पर इसे खोलकर देख सकते हैं।

(मेजें थपथपाकर स्वागत)

पुन: माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी ने अपने कार्यस्थगन की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया, जिसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री संजीव कुमार सिंह, श्री केदारनाथ पाण्डेय एवं श्री संजीव श्याम सिंह एवं प्रो. संजय कुमार सिंह ने भी किया। माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने भी पुन: अपने कार्यस्थगन की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया, जिसका सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने विरोध किया।

(इस अवसर पर सत्तापक्ष एवं विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने स्थानों पर खड़े होकर जोर-जोर से बोलने लगे।)

2. कार्यस्थगन प्रस्ताव पर आसन का नियमन

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी एवं श्री संजीव श्याम सिंह से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 107 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

पुन: आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार से प्राप्त कार्यस्थगन की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली की अस्वीकृति के आधार संख्या-2, 4, 10, 22 एवं 24 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी के साथ-साथ कांग्रेस के अन्य माननीय सदस्यगण कार्यस्थगन प्रस्ताव के संबंध में बोलते हुए सदन वेश्म में चले आए, जबकि माननीय सदस्य, श्री अशोक चौधरी अपने स्थान पर बैठे रहे। सत्तापक्ष एवं विपक्ष के माननीय सदस्यों में आरोप-प्रत्यारोप होता रहा। आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने अनुरोध किया कि आसन का नियमन हो गया, कृपया बैठ जाएं, लेकिन यथावत् नारेबाजी होती रही।)

इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के एक पूर्व मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी के संबंध में अपनी बात रखनी चाही, जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि वे विधायक इस सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिए उनपर इस सदन में सवाल नहीं उठाया जा सकता है और उनके बारे में यहां चर्चा नहीं होगी। विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा कतिपय टिप्पणी की गई । सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा उस टिप्पणी को कार्यवाही से निकाल दिये जाने की मांग की गई, जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि ठीक है, इसको देखेंगे।

3. प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 1 एवं 2 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 3, 4, 5, 6 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 7 अनागत हुआ।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 उत्तरित हुए।

प्रश्न संख्या- 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 15, 16 अनागत हुए।

आसन का नियमन

तारांकित प्रश्न संख्या- 5 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य को चिंता है कि जो एक जलमीनार का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। भूमि उपलब्ध है, माननीय मंत्री, कृपया दिखवा लीजिए। आपके पीछे वहां के माननीय मंत्री बैठे हैं, यह जनहित का मामला है और पानी का मामला है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके, इसका पूरा निपटारा कर लीजिए।

4. शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया, जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई आप मंत्री जी को दे दीजिए।

(इस अवसर पर पुन: अपने-अपने कार्यस्थगन प्रस्तावों के समर्थन में विरोधी दल के माननीय सदस्यगण जोर-जोर से बोलने लगे। जबकि माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी एवं माननीय सदस्य, श्री अशोक चौधरी अपने स्थानों पर बैठे रहे। इस बीच कांग्रेस के माननीय सदस्यगण हाथों में पोस्टर लहराते हुए सदन वेश्म में चले आये एवं जोर-जोर से बोलने लगे, जबकि माननीय सदस्य, श्री अशोक चौधरी अपने स्थान पर बैठे रहे। आसन से अपने स्थान पर बैठने का बार-बार अनुरोध किया गया, परन्तु यथावत् वेश्म से नारेबाजी होती रही।)

5. औपचारिक कार्य

श्री गुलाम रसूल, अध्यक्ष, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक एवं संकल्प संबंधी समिति द्वारा समिति का 185वां प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई एवं सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

6. परिनियत कार्य

1. माननीय मंत्री, श्री राणा रणधीर सिंह द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का वर्ष 2015-16 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

2. माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा द्वारा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना का वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 का वार्षिक लेखा की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

3. माननीय मंत्री, श्री प्रमोद कुमार द्वारा बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का विशेष प्रतिवेदन 2014-2016 की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

(इस बीच सदन के व्यवस्थित नहीं रहने की स्थिति में आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने सदन को 2.30 अपराह्न तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।)

(अंतराल)

7. ध्यानाकर्षण

आसन का नियमन

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि ध्यानाकर्षणों को पढ़ा हुआ मान लिया जाय, इससे समय बचेगा।

1. माननीय सदस्य, श्री नीरज कुमार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से मसूर के साथ अन्य दलहन फसल को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री राणा रणधीर सिंह ने वक्तव्य दिया।

2. माननीय सदस्य, श्री सूरजनन्दन प्रसाद द्वारा राज्य के उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर माननीय उप सभापति महोदय ने सदन को सूचित करने की कृपा की कि इसका उत्तर बाद में आएगा, दूसरे दिन उत्तर होगा, माननीय मंत्री ने समय लिया है।

3. माननीय सदस्य, श्री सतीश कुमार द्वारा पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के सदर अस्पताल में दवा खरीद में बरती गई अनियमितता के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री मंगल पाण्डेय ने वक्तव्य दिया।

(इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्यगण
अपने हाथों में पोस्टर लेकर बैठे रहे।)

4. माननीय सदस्य, श्री कृष्ण कुमार सिंह द्वारा धान की खरीद के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री राणा रणधीर सिंह ने वक्तव्य दिया।

आसन द्वारा धन्यवाद दिया जाना

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने कहा कि जिनके उत्तर पहले आ गये हैं, मैं उन माननीय मंत्रियों को धन्यवाद देता हूं।

5. माननीय सदस्य, डा. उपेन्द्र प्रसाद द्वारा विधायक अनुशंसित योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसे ग्रामीण कार्य विकास को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

6. माननीय सदस्य, श्री टुनजी पाण्डेय द्वारा सीवान जिलान्तर्गत जीरादेई प्रखंड सह अंचल कार्यालय के भवन निर्माण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार ने वक्तव्य दिया।

7. माननीय सदस्य, डा. रामवचन राय द्वारा हिन्दी के प्रख्यात साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी फणीश्वर नाथ रेणु की मृत्यु के कारणों का खुलासा करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री मंगल पाण्डेय ने वक्तव्य दिया।

8. गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प)

1. माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'भोजपुर जिलान्तर्गत बड़हारा प्रखण्ड उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, शालिग्राम सिंह टोला का नामकरण हरिवंश बेदामों उच्च विद्यालय करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

2. माननीय सदस्य, श्री दिलीप राय ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली के लिए खुलनेवाली सप्तक्रांति एक्सप्रेस (12557) को सीतामढ़ी से खोलने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।'

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

3. माननीय सदस्य, डॉ. संजीव कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'मदरसा, संस्कृत एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए भी सातवां वेतनमान लागू करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

4. माननीय सदस्य, श्री सी.पी. सिन्हा ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत सकरा प्रखण्ड के ग्राम – रामनगर-लक्ष्मण नगर को पंचायत के रूप में अधिसूचना निर्गत करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

5. माननीय सदस्य, प्रो. संजय कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए भी वेतनवृद्धि एवं पेंशन की सुविधा बहाल करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

6. माननीय सदस्य, श्री सूरजनन्दन प्रसाद ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'पटना शहर में समुचित स्थान पर विश्व के महान शासक सम्राट अशोक की आदमकद प्रतिमा स्थापित करे।'

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

7. माननीय सदस्य, श्री राजेश राम ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत रामनगर प्रखण्ड के ग्राम मेघबल मठिया एवं हरपुर के बीच डोंगई नदी पर पुल निर्माण करे।'

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

8. माननीय सदस्य, श्री नीरज कुमार ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'पटना जिलान्तर्गत दुल्हिन बाजार प्रखण्ड स्थित उलार सूर्य मंदिर क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

9. माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के आलोक में सूबे के नियोजित शिक्षकों को समान कार्य के लिए स्थायी शिक्षकों की भांति समान वेतनमान दे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

10. माननीय सदस्य, श्री सुमन कुमार ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'मधुबनी जिला के बाबूबरही प्रखण्ड अन्तर्गत त्रिवेणी संगम (पिपरा घाट) पर तीन दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव को राजकीय मेला घोषित करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

इस संकल्प के क्रम में हुई चर्चा के उपरांत माननीय उप सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि माननीय मंत्री, आपकी रिपोर्ट में त्रिवेणी संगम की चर्चा नहीं हुई है लेकिन आप उसको देखिएगा। आप सभी जिलों से पर्यटन स्थलों की जानकारी मांग रहे हैं उसमें माननीय सदस्य के विचार को भी अपने सामने रखिएगा।

11. माननीय सदस्य, श्री रणविजय कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'भोजपुर जिला के कोइलवर सोन नदी पर कोइलवर से राजापुर गांव तक बांध का पक्कीकरण करे।'

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

12. माननीय सदस्य, श्री केदार नाथ पाण्डेय ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रधानाध्यापक, सहायक शिक्षक एवं प्रबंधन के लिए नीति निर्धारित करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

13. माननीय सदस्य, श्री रामलषण राम 'रमण' ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'ध्वस्त इंदिरा आवास के बदले गरीबों को पुनः नया इंदिरा आवास प्रदान करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

14. माननीय सदस्य, श्री आदित्य नारायण पाण्डेय ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'गोपालगंज जिला में एक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

15. माननीय सदस्य, श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'सीतामढ़ी से पटना दैनिक इंटरसिटी ट्रेन सेवा आरंभ करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।'

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

16. माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र भारती ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य के कृषि में वर्षा के पानी से पटवन में सहूलियत हेतु नक्शानुसार बने पइनों, आहरों, नहरों, खंतों एवं नदियों की गड्डानुमा उड़ाही करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

17. माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'समस्तीपुर जिलान्तर्गत दलसिंहसराय अनुमंडल स्थित रेल गुमटी नं.-32 पर ओवरब्रिज के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।'

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

18. माननीय सदस्य, श्री सतीश कुमार ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'मोतिहारी शहर स्थित महावीर स्थान उर्फ नरसिंह बाबा मंदिर, बेलिसराय, मोतिहारी को धार्मिक न्यास पर्षद् में शामिल करे।'

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

9. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री केदारनाथ पाण्डेय
2. श्री संजीव श्याम सिंह

3. श्री सतीश कुमार
4. प्रो. नवल किशोर यादव
5. श्री हीरा प्रसाद बिन्द
6. श्री सोनेलाल मेहता
7. श्री नीरज कुमार
8. श्री रामचन्द्र भारती
9. श्री रणविजय कुमार सिंह
10. श्री सुबोध कुमार
11. श्री वीरेन्द्र नारायण यादव
12. श्री सी.पी. सिन्हा
13. श्री दिलीप कुमार चौधरी
14. श्री आदित्य नारायण पाण्डेय

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक बुधवार, दिनांक 29.11.2017 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

28/11/2017

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।

ज्ञापांक- 2034 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 28.11.2017

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार
28-11-2017

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।